राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4718/2022

तेज करण चौहान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, सी–स्कीम, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, मांगीलाल बागडी, राजकीय कॉलेज नोखा, जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.09.2022
आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर मांगीलाल बागडी राजकीय महाविद्यालय, नोखा, जिला बीकानेर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 05.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय महाविद्यालय, बाडी, धौलपुर किया गया है। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 29.11.2010 के द्वारा राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत अपीलार्थी की नियुक्ति हुई, जिसके क्रम में उसे राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर, जिला उदयपुर दिनांक 20.12.2011 को पदस्थापित किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया और

आदेश दिनांक 26.09.2022 (अनुलग्नक–1/ए) के द्वारा उसे कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 560 कि.मी. दूर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आर.वी.आर.ई.एस. नियम, 2010 के नियम 5 के अंतर्गत हुई है। इस प्रकार उसका स्थानान्तरण किया जाना नियम के विरूद्ध है। चूंकि यह सेवा केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है जबकि बाडी, धौलपुर नगर पालिका के अंतर्गत आता है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण बाडी, धौलपुर किया गया है जो नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 05.09.2022 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 26.09.2022 (अनुलग्नक–1/ए) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता के पद पर मांगीलाल बागडी राजकीय महाविद्यालय, नोखा, जिला बीकानेर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं छात्रहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 560 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)